



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127630

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19339/2026

नरवीर

आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मधुकर मौर्य, ऋषभ अग्रवाल

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जीए, सत्य धीर जदायूं, शशि शेखर मिश्रा

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मधुकर मौर्य, शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शशि शेखर मिश्रा और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं।
- यह जमानत याचिका जिला मथुरा के थाना बरसाना में मामला अपराध संख्या 52/2026 में धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 117(2), 125, 131, 333, 109, 324(4), 351(2) बीएनएस और सीएलए अधिनियम की धारा 7 के तहत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है
- आवेदक के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुल 8 व्यक्तियों के साथ-साथ 14-15 अज्ञात व्यक्तियों को भी नामित किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है। आवेदक के पास से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि समान परिस्थितियों वाले

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सह-आरोपी, चोखे लाल उर्फ कर्मवीर और बालकिशन को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है। न्यायालय ने आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 14177/2026 और 16384/2026 में दिनांक 18.5.2026 को पारित आदेशों के माध्यम से यह निर्णय लिया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 28.2.2026 से जेल में है।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी, अर्थात् चोखे लाल उर्फ कर्मवीर और बालकिशन को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों का अध्ययन किया है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी, अर्थात् चोखे लाल उर्फ कर्मवीर और बालकिशन को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आदेश को रद्द या स्थगित नहीं किया गया है, और आवेदक 28.2.2026 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूं।

7. जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

8. उपर्युक्त मामले में अपराध में संलिप्त आवेदक **नरवीर** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदार सत्यापित किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भा.द.सं./ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द.प्र.सं./ 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भा.द.सं./ 209 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष उन तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा जो (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 द.प्र.सं. के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित की गई हैं। यदि निचली अदालत की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही करेगी।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून, 2026

ललित शुक्ला

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।